

1st October 2025 - 30th September 2026

### Why This Scheme?

- A one-time opportunity to settle long-pending cases under the ESI Act, 1948.
- Minimise litigation and decrease legal expendiutre.
- Promote trust and goodwill among ESIC, employers, and insured persons.

#### Who Can Benefit?

- Employers: Pending disputes under Sec. 75, 82, 85, 85A of the ESI Act and Article 226 of the constitution of India.
- Employees/Insured Persons: Cases under Sec. 84 (excess benefit refund).
- Units: Non-submission of returns, late declarations, or minimum dues in old cases.

# **How to Apply**

- For more help Visit: Nearest Regional / Sub-Regional Office (RO/SRO).
- Submit request with required records & undertaking.
- Call: Toll—Free Helpline: 1800–11–2526

#### What Does It Cover?

- **Dispute of Coverage:** Pay contribution + interest; no damages.
- Minimum 30% in the absence of relevant records.
- **Disputed Levy of Damages:** Pay just 10% of the damages if contribution and interest already paid.
- Withdrawal of Prosecution: Sections 84, 85 & 85A cases, subject to compliance.
- Old Cases: > 15 years, dues < ₹25,000, eligible for</p> closure.
- Late Returns/Declarations: will be accepted only after compliance.

#### **Benefits of Joining**

- Relief from prolonged litigation.
- Exemptiom on significant damages in most cases.
- **Transparent & fair** settlement process.
- Cases resolved within 6 months.
- Peace of mind for employers & workers.

Don't miss this chance Resolve disputes today, secure tomorrow!



















01 अक्टूबर 2025 – 30 सितम्बर 2026

### क्यों लाई गई यह योजना?

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने का एकमात्र अवसर।
- 🗽 मुकदमेबाजी घटेगी और **कानूनी खर्चों** में बचत होगी।
- 🗽 क.रा.बी. निगम, नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच **विश्वास और सौहार्द** को बढ़ावा।

### किसे मिलेगा लाभ?

- नियोक्ताओं (Employers) को: क.रा.बी. अधिनियम की धाराएं ७५, ८४, ८५, ८५ए एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत वाले विवादों में।
- 🗽 कर्मचारियों / बीमाकृत व्यक्तियों (Employees / Insured Persons): धारा ८४ के अधीन मामलों में (अधिक भुगतान वापसी)।
- 📕 **इकाइयों को:** रिटर्न जमा न करने, देरी से घोषणा पत्र जमा करने या पुराने मामलों में मामूली बकायों में।

# आवेदन कैसे करें?

- अधिक सहायता/जानकारी के लिए अपने नजदीकी क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय (RO/SRO) में संपर्क करें।
- 👉 आवश्यक दस्तावेज़ एवं भविष्य में अनुपालन का वचन पत्र
- 👉 कॉल करें: टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526

## योजना में क्या शामिल है?

- 🗽 व्याप्ति के विवाद (Dispute of Coverage): अंशदान + ब्याज का भुगतान करें; कोई हर्जाना नहीं।
- 🗽 **अंशदान विवाद (Dispute of Contribution):** सुसंगत दस्तावेज न होने पर न्यूनतम ३०% का भुगतान।
- 🗽 हर्जानों का विवाद (Disputed Levy of Damages): यदि अंशदान और ब्याज पहले ही जमा, तो केवल १०% हर्जाने का भुगतान।
- 🗽 अभियोजन की वापसी (Withdrawal of Prosecution): धारा ८४, ८५ एवं ८५ए के मामले, अनुपालनाधीन।
- 🗽 पुराने मामले (Old Cases): 15 वर्ष से अधिक पुराने एवं ₹25,000 से कम बकाया वाले मामले बंद किए जा सकते हैं।
- 🗽 विलंबित रिटर्न/घोषणा (Late Returns/ Declarations): अनुपालन पश्चात् मामले को बंद कर सकते हैं।

# योजना से जुड़ने के लाभ

- 🐓 **लंबित मुकदमों** से राहत।
- 🗽 अधिकांश मामलों में **भारी हर्जानों से छूट।**
- 🗽 **पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण** निपटान प्रक्रिया।
- 🗽 मामले **६ महीने** के भीतर निपटाए जाएंगे।
- नियोक्ताओं एवं कामगारों को मानसिक शांति।

(क्यूआर कोड स्कैन करें)



इस अवसर को छूटने न दें, आज ही विवादों का समाधान करें, कल को सुरक्षित बनाएं!











